भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 408

सोमवार, 2 फ़रवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक)

असंगठित श्रमिकों के लिए ई-श्रम कार्ड

†408. **श्री सी. एन. अन्नादुरई:**
श्री जी. सेल्वम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु के असंगठित कामगारों को ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज तक क्षेत्र-वार कुल कितने पंजीकरण किए गए हैं;

(ख) तिरुवन्नामलाई जिले में पंजीकृत और जारी किए गए ई-श्रम कार्डों में असंगठित कामगारों की संख्या कितनी है तथा इसमें शामिल कुल असंगठित कार्यबल का अनुमानित प्रतिशत कितना है तथा क्या सरकार इस कवरेज को पर्याप्त मानती है;

(ग) क्या सरकार द्वारा तमिलनाडु के ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों में विशेष जागरूकता और पंजीकरण अभियान चलाए गए थे, जिनमें विशेषकर उक्त जिले में प्रवासी मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और कृषि मजदूरों को लक्षित किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का मोबाइल एप्लिकेशन और कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए ई-श्रम सेवाओं को बढ़ाने का विचार है ताकि देश के पिछड़े जिलों में सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित किया जा सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों के एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) के निर्माण के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया। ई-श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों को पंजीकृत करता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करता है।

दिनांक 26 जनवरी 2026 तक की स्थिति के अनुसार, 31.48 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है, जिसमें तमिलनाडु में पंजीकृत 95.75 लाख से अधिक असंगठित कामगारों शामिल हैं, और तिरुवन्नामलाई जिले में 4.41 लाख से अधिक असंगठित कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया तथा ई-श्रम कार्ड जारी किए गए हैं।

जारी–2/--

तमिलनाडु में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का व्यवसाय क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने हेतु ई-श्रम को एक वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में विकसित करने संबंधी बजट घोषणा, 2024-25 के विज़न को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया। ई-श्रम-"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात् ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच बनाने और ई-श्रम के माध्यम से उनके द्वारा अब तक उठाए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

अब तक, ई-श्रम कार्डधारकों को लाभ पहुंचाने और सामाजिक सुरक्षा, बीमा अथवा कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीआई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा, ई-श्रम को नौकरी के अवसरों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), कौशल विकास हेतु स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) तथा पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के कनवर्जेंस पोर्टल के साथ जोड़ा गया है।

ई-श्रम पहल के अंतर्गत पंजीकरण बढ़ाने एवं प्रवासी मजदूरों, निर्माण कामगारों और कृषि श्रमिकों सहित असंगठित कामगारों का व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक व्यापक कार्यनीति अपनाई है। वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से स्व-पंजीकरण समर्थ बनाने के अलावा, कामगारों के लिए सुगम पहुंच को सुविधाजनक बनाने हेतु सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी), राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) और उमंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहायता सहित पंजीकरण मोड शुरू किए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय लक्षित जागरूकता अभियान संचालित कर रहा है, जिनमें पंजीकरण अभियान, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम और स्थानीय स्तर के अनुरूप तैयार किए गए संचार प्रयास शामिल हैं। इसकी आउटरीच को और मज़बूत करने के लिए मंत्रालय वीडियो, ट्यूटोरियल और अन्य सूचनात्मक सामग्री प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया चैनलों का लाभ उठा रहा है, जिससे यह पहल अधिक सुलभ और आकर्षक बन रही है।

प्रवासी मजदूरों, निर्माण कामगारों और कृषि श्रमिकों सहित असंगठित कामगारों के लिए ई-श्रम और इससे जुड़ी सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच को और बढ़ाने हेतु, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर दिनांक 24 फरवरी 2025 को ई-श्रम मोबाइल एप्लिकेशन का आरंभ किया है। यह एप्लिकेशन ई-श्रम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कल्याणकारी योजनाओं तक वास्तविक समय आधार पर पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे पहुंच और उपयोगकर्ता सुविधा दोनों को काफी मजबूती मिलती है।

* *****

अनुबंध

"असंगठित श्रमिकों के लिए ई-श्रम कार्ड" के संबंध में श्री सी एन अन्नादुरई और श्री सेल्वम द्वारा दिनांक 02.02.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 408 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

तमिलनाडु में दिनांक 26.01.2025 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का व्यवसाय क्षेत्र-वार ब्यौरा:

क्र. सं.	**व्यवसाय क्षेत्र**	**पंजीकरण संख्या**
1	कृषि	54,71,303
2	परिधान	8,32,134
3	ऑटोमोबाइल और परिवहन	3,69,711
4	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा	2,155
5	सौंदर्य और वेलनेस	38,635
6	पूंजीगत वस्तुएँ और विनिर्माण	1,53,336
7	निर्माण	10,92,323
8	घरेलू और गृह कर्मचारी	1,29,455
9	शिक्षा	1,23,362
10	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	1,27,054
11	खाद्य उद्योग	69,095
12	रत्न और आभूषण	20,803
13	कांच और सिरेमिक	2,807
14	हस्तशिल्प और कालीन	1,54,283
15	स्वास्थ्य सेवा	93,987
16	चमड़ा उद्योग कार्य	51,218
17	खनन	6,938
18	विविध	3,90,924
19	संगीत वाद्ययंत्र	3,798
20	ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और फैसिलिटी मैनेजमेंट	1,83,058
21	संगठित खुदरा	2,612
22	मुद्रण	24,519
23	निजी सुरक्षा	9,595
24	पेशेवर	30,896
25	खुदरा	71,301
26	सेवा	13,869
27	वस्त्र और हथकरघा	14,483
28	तंबाकू उद्योग	28,664
29	पर्यटन और आतिथ्य	60,535
30	लकड़ी और बढ़ईगीरी	2,857
	कुल पंजीकरण	**95,75,710**
